

प्रेषक,  
आयुक्त,  
झाँसी मण्डल झाँसी।

सेवा में,  
राजिव,  
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, शिक्षा केन्द्र-2, समुदाय केन्द्र,  
गोप्ति विवाद, नई दिल्ली।

पंचांक/एन०००००१०/३२३४-५५ /2021-22 दिनांक-०८-०९-२०२१  
विवाद-डॉन बोस्को एकड़मी सिविल लाइन्स, ललितपुर को शी०शी०एस०ई०बोर्ड, नई दिल्ली से  
सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,  
उपर्युक्त विवाद की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए सूच्य है कि उत्तर प्रदेश शासन के आदेश सं० 1916 / १५-७-०९-(२९९) / २००७ दिनांक-१४.०७.२००९ द्वारा प्रदेश विधान शी०शी०एस०ई० तथा आई०शी०एस०ई० बोर्ड द्वारा संचालित किए जाने के पूर्व संस्थाओं को अनापत्ति प्रमाण पत्र राज्य सरकार के स्थान पर सम्बन्धित मण्डल के अधिकारियों की अव्यक्तता में गठित समिति द्वारा दिये जाने का प्राविधिक क्रिया गया है, उक्त शासनादेश के अनुपालन में जनपद, ललितपुर में स्थित संस्था डॉन बोस्को एकड़मी सिविल लाइन्स, ललितपुर के आवेदन पत्र पर मण्डल सर पर गठित समिति द्वारा विचार किया गया। समिति द्वारा झाँचोपरान्त डॉन बोस्को एकड़मी सिविल लाइन्स, ललितपुर को शी०शी०एस०ई०, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु निम्नलिखित प्रतीक्षणों के अधीन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने का निर्णय लिया गया।

अतः डॉन बोस्को एकड़मी सिविल लाइन्स, ललितपुर को निम्नलिखित प्रतीक्षणों के अधीन अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में समिति को आपत्ति नहीं है-

- विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय-समय पर समीकरण कराया जायेगा।
- विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मैदानी वर्षों के लिए सुरक्षित रखेंगे, और उनमें उ०३०, माध्यमिक शिक्षा परिवद/वैसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- संख्या द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से माचाता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेन्ड्री एज्यूकेशन, नई दिल्ली / कॉर्सिल फॉर इंजिनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी कॉर्सिल एज्यूकेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उस परीक्षा परिषद से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिवद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा साज्य सरकार से प्राप्त अनुदान रखते समाप्त हो जायेगा।
- संख्या द्वारा शैक्षिक एवं शिक्षणगत कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमत्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिये जायेंगे।
- कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें संहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों का अनुमत्य सेवा निवृत्ति लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

MANAGER  
DON BOSCO ACADEMY  
LALITPUUR (I.P.)

f. B. Bhatnayak  
PRINCIPAL  
DON BOSCO ACADEMY  
LALITPUUR (I.P.)

(02)

- राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किए जायेंगे संख्या उनका पालन करेंगी।
- विद्यालय का रिकार्ड, निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा।
- उत्तर शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

विद्यालय को शून्यी०एस०ई० बोर्ड नई दिल्ली से सम्बद्धता प्राप्त होने के दौरान गाह पश्चात् पुनः विद्यालयों का स्थानीय निरीक्षण कर प्रतिबन्धों की पूर्ति का परीक्षण किया जाएगा तथा पूर्ति न होने की दशा में एवं संख्या के शिक्षक/शिक्षागत्वर कर्मियों को राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षक/शिक्षागत्वर कर्मियों से कम मुगमान किए जाने की स्थिति पायी जाती है तो सम्बन्धित संस्था के अनापत्ति प्रमाण पत्र को वापस लेने की कार्यवाही की जाएगी, जिसका सम्मूल उत्तर दायित्व सम्बन्धित संस्था का होगा।

भवदीय,

(०५)

(प्रभिल कुमार सिंह)  
अपर आयुक्त (प्रशासन)  
झाँसी मण्डल झाँसी।

- पृष्ठांक सं०/एन००००१०/३२३४-५५ /2021-22  
प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनावै एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-  
१. राजिव माध्यमिक शिक्षा, उ०३०, शासन, लखनऊ।  
२. आयुक्त महोदय, झाँसी मण्डल, झाँसी को उनके द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुपालन में।  
३. जिलाधिकारी, ललितपुर।  
४. शिक्षा निदेशक(गा०)उ०३०, लखनऊ।  
५. जिला विद्यालय निरीक्षक, ललितपुर।  
६. शिक्षक, डॉन बोस्को एकड़मी सिविल लाइन्स, ललितपुर।  
७. प्रबन्धक, डॉन बोस्को एकड़मी सिविल लाइन्स, ललितपुर।

(संजय योदव)  
संयुक्त शिक्षा निदेशक,  
झाँसी मण्डल झाँसी।

MANAGER  
DON BOSCO ACADEMY  
LALITPUUR (I.P.)

f. B. Bhatnayak  
PRINCIPAL  
DON BOSCO ACADEMY  
LALITPUUR (I.P.)